<u>विशेष संदेशवाहक /मेल द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु/प्रकार्या./एमसीसी/2018 **दिनांक : 27 मार्च, 2017**

सेवा में,

1. मंत्रिमंडल सचिव,
   भारत सरकार,
   राष्ट्रपति भवन,
   नई दिल्ली।

2. मुख्य सचिव
   कर्नाटक सरकार,
   बंगलुरू।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
   कर्नाटक
   बंगलुरू।

विषय : कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने कर्नाटक विधान सभा के साधारण नि□र्वाचन आयोजित कराने के लिए अनुसूची की घोषणा की है और आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के साथ ही 'आदर्श आचार संहिता' तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित निदेश दिए हैं:-

1. **सम्पत्ति का विरूपण-** पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2015-सीसीएस, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015; सं. 437/6/अनुदेश/2012-सीसीएण्डबीई दिनांक 18 जनवरी, 2012 तथा सं. 3/7/2008/जेएस-II दिनांक 7 अक्तूबर, 2008 में निहित ईसीआई अनुदेशों में सम्पत्ति के विरूपण के रोकथाम का प्रावधान है।

आयोग ने अपने अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध रूप से कार्रवाई करने के लिए यथानिर्धारित निम्नलिखित निदेश दिए हैं-

(क) **सरकारी सम्पत्ति का विरूपण-** इस प्रयोजन के लिए सरकारी परिसर में कोई भी सरकारी कार्यालय तथा कैम्पस शामिल होगा जिसमें कार्यालय भवन स्थित है। सरकारी सम्पत्ति पर सभी प्रकार के वॉल राइटिंग, पोस्टर्स/पेपर्स या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, फ्लैग आदि निर्वाचनों की घोषणा से **<u>24 घंटे के भीतर</u>** हटा दिए जाएंगे।

(ख) **सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण तथा सार्वजनिक स्थान का दुरूपयोग-** दीवार लेख/पोस्टरों/कागजों के रूप में सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापन या किसी अन्य रूप में विरूपण, सार्वजनिक सम्पत्ति में तथा सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, रोडवेजों, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन खंभो, नगर निगम/ नगर पालिका/स्थानीय निकाय के भवनों आदि में कट आउट/ होर्डिंग बैनर, फ्लैग इत्यादि आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से **<u>48 घंटों के भीतर</u>** हटा दिए जाएंगे।

(ग) **निजी सम्पत्ति का विरूपण-** निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निदेशों यदि कोई हो, के अधीन, सभी विज्ञापन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से **<u>72 घंटो के भीतर</u>** हटा दिए जाएंगे।

2. **सरकारी वाहनों का दुरूपयोग-** अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 10 अप्रैल, 2014 के पत्र सं. 464/अनुदेश/2014/ईपीएस में निहित आयोग के समेकित अनुदेशों **में उपबंधित है कि किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (निर्वाचन सें संबंधित किसी सरकारी ड्यूटी का निष्पादन करने वाले पदाधिकारियों को छोड़कर) निर्वाचन के दौरान प्रचार करने, निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्य या निर्वाचन से संबंधित यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा (उसमें उल्लिखित कुछ अपवादों के अध्यधीन)।**पद, 'सरकारी वाहन' का अर्थ ऐसे वाहनों से है और इसमें ऐसे वाहन शामिल होंगे जो परिवहन के प्रयोजनार्थ प्रयोग किए गए हों या प्रयोग किए जाने योग्य हों, चाहे वे यांत्रिक शक्ति या अन्यथा द्वारा चालित हों, और इनमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, केन्द्र/राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, नगर निगमों, विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों या ऐसे कोई अन्य निकाय शामिल होंगे जिसमें सार्वजनिक निधियां, भले ही कुल निधियों में से एक छोटा सा हिस्सा ही हों, निवेशित की गई हों। **मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ईसीआई अनुदेशों के अनुपालन के लिए निर्वाचनों की घोषणा के <u>24 घंटे के भीतर</u> आवश्यक कार्रवाई करेंगे।**

3. **सार्वजनिक-राजकोष की लागत पर विज्ञापन-** दिनांक 5 मार्च, 2014 के पत्र सं. 437/6/1/2014-सीसी तथा बीई में ईसीआई अनुदेशों में यह प्रावधान है कि निर्वाचन अवधि के दौरान सत्तारूढ़ दल की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से उपलब्धियों के बारे में सार्वजनिक राजकोष की लागत पर समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों में विज्ञापन दिए जाने और राजनीतिक समाचार एवं प्रचार-प्रसार के पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए आधिकारिक जनसंचार के दुरूपयोग से निरपवाद रूप से बचा जाना चाहिए। सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए सार्वजनिक राजकोष की लागत पर इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिन्ट मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। यदि किसी विज्ञापन को दूरदर्शन प्रसारण या प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशन के लिए पहले ही जारी किया जा चुका है, तो यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसे विज्ञापनों का दूरदर्शन प्रसारण/प्रकाशन तत्काल रोक दिया जाए तथा घोषणा की तारीख से किन्हीं भी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि अर्थात् प्रिन्ट मीडिया में ऐसा कोई भी विज्ञापन प्रकाशित न हो, तथा इसे तत्काल वापिस ले लिया जाना चाहिए। **मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचनों की घोषणा के तुरन्त पश्चात् सरकार की उपलब्धियों को दर्शाते हुए प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी विज्ञापन को हटाने/रोकने के लिए <u>तत्काल कार्रवाई</u> करेंगे।**

4. **आधिकारिक वेबसाइट पर राजनीतिक पदाधिकारी का फोटो-** दिनांक 20 मार्च, 2014 के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2014- सीसी तथा बीई में निहित ईसीआई अनुदेश में यह प्रावधान है कि केन्द्र/राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनीतिज्ञों या राजनीतिक दलों के सभी संदर्भों को हटा दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यीय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के फोटो को हटाने/छिपाने के लिए **<u>तत्काल कार्रवाई</u>** करेंगे।

5. **विकास/निर्माण संबंधी कार्यकलाप-**मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचनों की घोषणा के **<u>72 घंटे के भीतर</u>** आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर किसी शिकायत को विधिमान्य बनाने की स्थिति में संदर्भ हेतु कार्य की निम्नलिखित सूची प्राप्त करेंगेः
   i. कार्य की सूची जिसे स्थल पर पहले ही आरंभ किया जा चुका है।
   ii. नए कार्य की सूची जिसे स्थल पर आरंभ नहीं किया गया है।
6. **व्यय अनुवीक्षण तथा आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए क्रियाकलाप-**घोषणा के बाद उड़न दस्ता, एफ एस टी, वीडियो टीम, शराब/नकदी/विनिषिद्ध औषधियों के लिए गहन

जांच,ड्रग/स्वापक के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग के उड़न दस्तों को **तत्काल सक्रिय** किया जाना है।

7. **शिकायत निगरानी प्रणाली-** निर्वाचन कराए जाने वाले राज्य के पास वेबसाइट तथा कॉल सेन्टर पर आधारित एक शिकायत निवारण प्रणाली होगी। कॉल सेन्टर का टोल फ्री नंबर 1950 है। टोल फ्री कॉल सेन्टर नबंर या कॉल करके या वेबसाइट पर शिकायतें दर्ज की जा सकती है। शिकायतकर्ताओं को एसएमएस द्वारा या कॉल सेन्टर द्वारा भी की गई कार्रवाई की सूचना दी जाएगी। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर की गई कार्रवाई के विवरण भी देख सकते हैं। यह प्रणाली घोषणा के **24 घंटे के भीतर क्रियाशील** होनी चाहिए। सभी शिकायतों को यथासमय एवं उचित रूप से निपटाया जाना चाहिए। जिला स्तर पर 24x7 नियंत्रण कक्ष को अवश्य सक्रिय किया जाए तथा विशेष रूप से पर्याप्त मैनपावर तैनात की जाए एवं अन्य लाजिस्टिक्स सुनिश्चित किया जाए, नियंत्रण कक्ष में चौबीस घंटे लोगों की तैनाती की जाए तथा किसी टाल-मटोल या शंका से बचने के लिए उनका ड्यूटी रोस्टर अवश्य बनाया जाए।

8. **आईटी एप्लीकेशन-घोषणा किए जाने के साथ ही** आधिकारिक वेबसाइट तथा सोशल मीडिया सहित सभी **आई टी एप्लीकेशन चालू हो जाएंगी।**

9. **मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों की जागरूकता के लिए सूचना का प्रचार-प्रसार करना-** निर्वाचन संबंधी प्रमुख गतिविधि का प्रचार मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, सभी आवश्यक सूचना का प्रचार-प्रसार रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा के माध्यम से किया जाएगा। सरकारी चैनल में मतदाता शिक्षा सामग्री प्रदर्शित की जाएगी।

10. शैक्षणिक संस्थान तथा सिविल सोसाइटी से सक्रिय सहयोग- आम जनता तथा अन्य पणधारियों में निर्वाचन संबंधी सूचना का व्यापक प्रचार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा सिविल सोसाइटी से सहयोग **लिया जा सकता है।**

11. **मीडिया सेन्टर-** मीडिया के माध्यम से ईवीएम/वीवीपीएटी के प्रयोग सहित निर्वाचन प्रणाली के बारे में मतदाताओं, राजनीतिक दलों तथा अन्य पणधारियों के मध्य जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

12. **एमसीएमसी/डीईएमसी-** दिनांक 24 मार्च, 2014 के पत्र सं. 491/एमसीएमसी/2014 में निहित अनुदेश में यह प्रावधान है कि सभी पंजीकृत राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जाने वाले उनके प्रस्तावित राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए जिला तथा राज्य स्तर पर, जैसी भी स्थिति हो, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) से सम्पर्क करेंगे। आयोग ने उपर्युक्त पत्र में निहित अपने अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए हैं।

13. **नियंत्रण कक्ष- जिला स्तर पर 24x7 नियंत्रण कक्ष तत्काल अवश्य चालू किया जाए तथा जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्याप्त मैनपावर की तैनाती तथा अन्य लाजिस्टिक्स सुनिश्चित किया जाए।** सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान **ईसीआई सचिवालय में शिकायत निवारण केन्द्र सहित एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा।**

भवदीय,

(नरेन्द्र एन. बुटोलिया)
प्रधान सचिव